

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

म0क0 / 2015 निगरानी

विमर्शनी 2011-II-15

23

श्री. *श्री. कौशल प्रसाद*
द्वारा आज दि. *11/11/15* को
प्रस्तुत

बद
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. बृजेन्द्र प्रसाद तनय कौशल प्रसाद ब्र0
2. अशोक कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
3. अवनीश कुमार तनय बृजेन्द्र कुमार
4. अमित कुमार तनय बीरेन्द्र कुमार
ब्रह्मण निवासीगण ग्राम फुलहा , थाना
व तहसील नईगढी , जिला रीवा म.प्र.।

.....आवेदकगण

विरुद्ध

राजेन्द्र प्रसाद पिता कौशल प्रसाद ब्रह्मण ,
निवासी ग्राम फुलहा, थाना व तहसील नईगढी
, जिला रीवा म.प्र. *हाल निवास तमोर पेयोल पम्प के पूर
खट्वा पोस्ट कौशल प्रसाद जी. के. डेवे के घर के प
15/15 जिला रीवा 2015*अनावेदकगण

श्री. कौशल प्रसाद
11/11/15

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य संहिता 1959 विरुद्ध
अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क
669/अपील/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 4.6.2015 के
विरुद्ध प्रस्तुत है।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

Pr

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि उक्त भूमि के मूल भूमि
स्वामी आवेदक क 1 एवं रेस्पोंडेन्ट के पिता स्व. श्री कौशल प्रसाद थे


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2011-दो/2015

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-2017	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत मान० उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय के आदेशों की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि दो बार इस प्रकरण में अंतिम बहस हो जाने के पश्चात भी अंतिम आदेश पारित न हो पाने एवं पीठसीन अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के कारण आवेदक द्वारा मान० उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्रं. 13749/2016 प्रस्तुत की गई थी जिसमें मान० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-10-2016 को स्थगन जारी करते हुये इस न्यायालय को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये हैं। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिये कि अपर जिला न्यायाधीश मरुगंज जिला रीवा द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 52अ/2006 में पारित आदेश दिनांक 23-9-08 आवेदक क्रमांक 1 को संपूर्ण सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा तथा दादी की वसीयत के आधार पर आवेदक क्रमांक 2 से 4 को 1/3 हिस्सा तथा अनावेदक राजेन्द्र प्रसाद को 1/3 हिस्सा दिया गया है परन्तु अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के आदेश पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा अपर जिला न्यायाधीश मरुगंज जिला रीवा के सिविल अपील क्रमांक 52ए/06 में दिनांक</p>	

 Y

23-9-2008 के द्वारा बटवारे के संबंध में आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त ने प्रथम व्यवहार न्यायालय के आदेश को विचारक्षेत्र में नहीं लिया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 23-9-2008 में आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सही माना है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4-6-2015 अपास्त किया जाता है। व्यवहार न्यायालय के आदेश में कम में ही विचारण न्यायालय में आदेश पारित किया जाना है अतः प्रकरण तहसीलदार नईगढ़ी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में अंतिम आदेश पारित करें। प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दायिरी रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य